

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 234 वर्ष 2024

आवेदक- दुखनी देवी

केता- राजेन्द्र कुमार

ग्राम- पोटसो

ग्राम- पोटसो

थाना- नावाडीह

जिला-बोकारो

थाना- नावाडीह

जिला-बोकारो

आदेश की को
सं० तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख का
03

29/3/25

आदेश

यह वाद आवेदक-दुखनी देवी पति-स्व० शुक्देव महतो, वर्तमान निवास पता ग्राम-पोटसो, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पोटसो	46	40	643	06 डी०	06 डी०	धान खेत, वर्तमान
			644	18 डी०	09 डी०	स्वरूप खेत

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये में केता-राजेन्द्र कुमार पिता-दुर्गा प्रसाद का मूल एवं वर्तमान पता ग्राम-पोटसो, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1290/रा०, दिनांक 23.12.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक-227, दिनांक-18.03.2025 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में पोचन कुरमी वगै० के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं० 67/IV में सुखदेव महतो तथा पंजी-II के पृष्ठ सं० 95/II में बिक्रेता के सास इन्द्रमनी देवी वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध पति एवं सास का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में पोचन कुरमी वगै० के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं० 67/IV में सुखदेव महतो तथा पंजी-II के पृष्ठ सं० 95/II में बिक्रेता के सास इन्द्रमनी देवी वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद

✓

वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिस आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो बिक्रेता को केवाला दस्तावेज सं0-6481 दिनांक 23.02.1992 तथा केवाला सं0 2481 दिनांक 24.08.2000 खरीदगी से प्राप्त है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-आवेदक-दुखनी देवी पति-स्व0 शुकदेव महतो, वर्तमान निवास पता ग्राम-पोटसो, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पू0 सीमा	प0 सीमा
पोटसो 46	40	643	06 डी0	06 डी0	भीम महतो	बुधन महतो	निज क्रेता	श्यामलाल साव
		644	18 डी0	09 डी0	परनी देवी	बुधन महतो	निज क्रेता	श्यामलाल साव वाके है
कुल				15 डी0 (पंद्रह डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 165,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-राजेन्द्र कुमार पिता-दुर्गा प्रसाद का मूल एवं वर्तमान पता ग्राम-पोटसो, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।